रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246620
CG-DL-E-16062023-246620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

सा.का.नि. 446(अ).—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी के लिए चयन सूचियों का तैयार किया जाना) विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी के लिए चयन सूचियों का तैयार किया जाना) संशोधन विनियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी के लिए चयन सूचियों का तैयार किया जाना) विनियम, 2013 में,--

(i) नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) ये 12 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।";

(ii) स्पष्टीकारक ज्ञापन का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 09/01/2015-सीएस.आई(पी)]

रजत कुमार, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) तारीख 12 जुलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 756(अ) तारीख 2 अगस्त, 2016 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

G.S.R. 446(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, read with the rule 21 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations to further to amend the Central Secretariat Service (Preparation of Select Lists for the Section Officers' and Assistant Section Officers' Grades) Regulations, 2013, namely :−

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (Preparation of Select Lists for the Section Officers' and Assistant Section Officers' Grades) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service (Preparation of Select Lists for the Section Officers' and Assistant Section Officers' Grades) Regulations, 2013, -

(i) in rule 1, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(2) They are deemed to have come into force on the 12th July, 2013.";

(ii) Explanatory Memorandum shall be omitted.

[F. No. 09/01/2015-CS.I(P)]

RAJAT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part (II) Section 3, Sub-section (i) vide Notification No. G.S.R.483 (E), dated the 12th July, 2013 and subsequent amendment vide Notification No. G.S.R.756(E) dated 2nd August 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.16 17:45:16 +05'30'